उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Ref. No. UOU/आर/वि.परि./36/2026
Date: **01 अगस्त, 2026**

सेवा में,

1. प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त), मुक्त शिक्षा विद्याशाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
3. डॉ0 मनु प्रताप सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय, **Rector**, जे0एन0यू0, डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
5. प्रोफेसर एच0सी0 पुरोहित, प्रोफेसर एवं डीन, प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।
7. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डे, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर एम0एम0 जोशी, निदेशक, पर्यटन,आतिथ्य एवं होटल प्रबन्धन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. प्रोफेसर प्रवेश कुमार सहगल, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
13. प्रोफेसर गगन सिंह, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
14. प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट, निदेशक, व्यवसायिक अध्ययन विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
15. प्रोफेसर मंजरी अग्रवाल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
16. प्रोफेसर डिगर सिंह फर्स्वाण, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
17. प्रोफेसर अरविन्द भट्ट, निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
18. प्रोफेसर राकेश चन्द्र रयाल, निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
19. प्रोफेसर कमल देवलाल, निदेशक, विधि विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
20. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
21. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-प्राध्यापक, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
22. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सह-प्राध्यापक, कृषि, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
23. डॉ0 सुमित प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
24. डॉ0 ममता कुमारी, सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र, उत्तरराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
25. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
26. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 31 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **विद्या परिषद** की 35वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, विद्या परिषद

प्रतिलिपि:- कुलपति जी के वैयक्तिक अधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी–263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Tel. : 05946-286000 ● Toll Free No. : 1800 180 4025 ● Fax : 05946-264232 ● E-mail : info@uou.ac.in ● Website : www.uou.ac.in

दिनांक 31 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
   हल्द्वानी।

2. प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, — सदस्य
   कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त),
   मुक्त शिक्षा विद्याशाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

3. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, — सदस्य
   विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक,
   सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

4. डॉ0 एच0सी0 पुरोहित, — सदस्य
   प्रोफेसर एवं डीन,
   प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय,
   देहरादून।
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

5. डॉ0 मनु प्रताप सिंह, — सदस्य
   प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग,
   डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

6. प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय, — सदस्य
   Rector, जे0एन0यू0,
   डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा,
   जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
   (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

7. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

8. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, सदस्य
निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

9. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, सदस्य
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

10. प्रोफेसर एम0एम0 जोशी, सदस्य
निदेशक, पर्यटन,आतिथ्य एवं होटल प्रबन्धन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट, सदस्य
निदेशक, व्यवसायिक अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर गगन सिंह, सदस्य
निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

13. प्रोफेसर राकेश चन्द्र रयाल, सदस्य
निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

14. प्रोफेसर डिगर सिंह फर्स्वाण, सदस्य
निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

15. प्रोफेसर मंजरी अग्रवाल, सदस्य
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

16. प्रोफेसर अरविन्द भट्ट, — सदस्य
निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

17. प्रोफेसर कमल देवलाल, — सदस्य
निदेशक, विधि विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

18. प्रोफेसर प्रवेश कुमार सहगल — सदस्य
निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

19. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, — सदस्य
सह-आचार्य, वानिकी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

20. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, — सदस्य
सह-आचार्य, कृषि,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

21. डॉ0 सुमित प्रसाद, — सदस्य
सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

22. डॉ0 ममता कुमारी, — सदस्य
सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

23. श्री खेमराज भट्ट, — सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

24. प्रोफेसर सोमेश कुमार, — आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

बैठक आरम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम सदस्य सचिव, विद्या परिषद द्वारा अध्यक्ष, विद्या परिषद तथा बैठक में ऑनलाइन/ऑफलाइन उपस्थित समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 36वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में आभासीय **(Online)** माध्यम से उपस्थित बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, प्रोफेसर एच0सी0 पुरोहित, प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह तथा प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डे का बैठक में प्रतिभाग हेतु विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों का विद्या परिषद की 36वीं बैठक में स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 36.01- विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28.05.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28.05.2026 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/R/वि0परि0/35/2026, दिनांक 01.06.2026 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28.05.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि को अनुमोदित किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.02- विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28.05.2026 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

विद्या परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 28.05.2026 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित प्रस्ताव संख्या– 35.07 में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने की संस्तुति करते हुए शेष कृत कार्यवाही पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

"प्रस्ताव संख्या 35.07- विज्ञान व भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत आयोजित होने वाली प्रयोगात्मक कार्यशालाओं में शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रयोगात्मक कार्यशाला अन्यत्र आयोजित किए जाने के संबंध में विचार।"

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *संबंधित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि, जब विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को प्रयोगात्मक कार्य सम्पादित किए जाने हेतु धनराशि आवंटित की जाती है, तो संबंधित अध्ययन केन्द्रों द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोगात्मक कार्यों हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन केन्द्रों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाय। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को निर्देशित किया जाय कि वे सभी विषय जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन सभी की परीक्षाएं अध्ययन केन्द्रों द्वारा अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराई जायं ताकि शिक्षार्थियों तथा विश्वविद्यालय को अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन ना करना पड़े। यदि शिक्षार्थी हित में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है तो शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रयोगात्मक कार्यशाला विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केन्द्र हल्द्वानी एवं देहरादून में ही आयोजित की जाय।*

प्रस्ताव संख्या 36.03- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (DEB) द्वारा विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्नातक के 02 कार्यक्रमों- Bachelor of Education (B.Ed. ODL) एवं Bachelor of Library & Information Science को संचालित किए जाने की मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (DEB) द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्नातक के 02 कार्यक्रमों को संचालित किए जाने की मान्यता प्रदान की गई है जिनका विवरण निम्नवत् है। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है:-

1. BACHELOR OF EDUCATION - B.Ed. ODL
2. BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

निर्णय:- *संबंधित प्रस्ताव से विद्या परिषद अवगत हुई।*

प्रस्ताव संख्या 36.04- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में नेपाली शिक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(DEB) से प्राप्त सहमति की सूचना एवं संबंधित प्रवेश प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर विचार/अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रभारी प्रवेश द्वारा विद्या परिषद विस्ता से को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में संचालित समस्त कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश दिए जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विदेशी नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पूर्व की भांति विदेशी नागरिकों, विशेषकर नेपाल देश के नागरिकों को विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में प्रवेश दिए जाने पर पुर्नविचार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किए जाने के संबंध में विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 2025 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित समस्त कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड सरकार को पत्र प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई। विद्या परिषद की संस्तुतियों पर कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2025 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र प्रेषित किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(DEB) द्वारा अपने पत्रांक-F.No.36-2/2026 (DEB-NR), दिनांक 01 जुलाई, 2026 के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों में नेपाली शिक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(DEB) से प्राप्त सहमति के क्रम में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में नेपाली शिक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है जो संलग्नक के रूप में विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है।

निर्णय:- ***विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में नेपाली शिक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में यू0जी0सी0 से विश्वविद्यालय को प्राप्त सहमति पर परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को हार्दिक बधाई दी गई। तद्क्रम में परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से नेपाली नागरिकों तक प्रचारित की जा सकती है। इस हेतु विश्वविद्यालय के प्रवेश विभाग द्वारा भारतीय दूतावास से सम्पर्क स्थापित किया जाय। तद्क्रम में प्रस्ताव के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए परिषद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि प्रवेश की अन्तिम तिथि से 10 दिन पूर्व नेपाल के अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया बन्द कर दी जाय।***

प्रस्ताव संख्या 36.05- योग विभाग के दस्तावेज सत्यापन (ऑनलाइन) किए जाने के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि योग विभाग के एम0ए0 योग एवं बी0ए0 योग (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से सम्पन्न कराए जाने के संबंध में निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा की अध्यक्षता में दिनांक 03 फरवरी, 2026 को एक बैठक सम्पन्न हुई। तद्क्रम में सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *योग विभाग के दस्तावेज सत्यापन (ऑनलाइन) किए जाने के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 36.06- शोधार्थियों हेतु अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए प्रायोजन एवं शैक्षणिक सहायता (Sponsorship and Academic Support for Research Scholars for Participation in International Academic Programmes) नीति पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, शोध द्वारा विद्या परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शोध एवं नवाचार विभाग द्वारा शोधार्थियों हेतु अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए प्रायोजन एवं शैक्षणिक सहायता (Sponsorship and Academic Support for Research Scholars for Participation in International Academic Programmes) नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन (Conferences), संगोष्ठी (Seminars), कार्यशाला (Workshops), प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programmes), ग्रीष्म/शीतकालीन विद्यालय (Summer/Winter Schools), एवं अन्य शैक्षणिक आयोजनों में सहभागिता हेतु वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से **"शोधार्थियों हेतु प्रायोजन एवं शैक्षणिक सहायता नीति"** का प्रारूप तैयार किया गया है जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक के रूप में विद्या परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए विद्या परिषद द्वारा संस्तुति की गई कि संबंधित नीति के अन्तर्गत शोधार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाय। उक्त नीति में सभी आवश्यक पहलुओं का परीक्षण कर एक विस्तृत विवरण तैयार किया जाय। विस्तृत विवरण तैयार किए जाने हेतु सीका के अन्तर्गत एक समिति का गठन कर समिति द्वारा निर्मित विवरण को परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। समिति गठित किए जाने हेतु विद्या परिषद द्वारा माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 36.07- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के संबंध में पत्रांक- 4-1 (UGC-NET Review Committee/2024 (NET)/ 140648, दिनांक 27 मार्च, 2024 के अनुसार यूजीसी-नेट के आधार पर पीएच0डी0 प्रवेश के साथ-साथ विश्वविद्यालय की पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, शोध द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी पत्र No. 4-1 (UGC-NET Review Committee/2024 (NET)/140648, दिनांक 27 मार्च, 2024 के अनुपालन में यूजीसी-नेट के आधार पर पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश दिए जाने के साथ-साथ

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय की पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण एवं अधिकाधिक योग्य अभ्यर्थियों को पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश का अवसर प्रदान करने, विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूजीसी-नेट के माध्यम से प्रवेश के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पृथक पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव तथा इस हेतु निर्मित पीएच0डी0 प्रवेश नीति-2026 का विस्तृत विवरण संलग्नक के रूप में विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- ***विश्वविद्यालय के इस प्रयास की विद्या परिषद द्वारा सराहना करते हुए मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाय। तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पृथक पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.08- विश्वविद्यालय में ''स्वामी विवेकानन्द उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना'' संचालित किए जाने के संबंध में दिनांक 20.07.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र संख्या-394993/XXX-2/2026/06(04)2025, दिनांक 13 मई, 2026 द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्याधीन समस्त विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों सहित राज्य में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थानों, विधान सभा एवं सचिवालय के समस्त हितधारकों तथा राज्य के निजी उच्च शिक्षण संस्थानों सहित अन्य इच्छुक संस्थानों/विभागों को एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से ई-बुक सहित अन्य डिजिटल कंटेन्ट (न्यूजपेपर्स, मैगजीन, रिपोर्टस आदि) उपलब्ध कराते हुए **''स्वामी विवेकानन्द उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना''** संचालित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सचिव, उच्च शिक्षा के उक्त पत्र के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय में **''स्वामी विवेकानन्द उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना''** संचालित किए जाने हेतु निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तद्क्रम में गठित समिति की दिनांक 20.07.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई हैं। तद्क्रम में संबंधित प्रस्ताव पर निदेशक अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को निम्नानुसार अवगत कराया गया कि:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों से पुस्तकालय मद में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है।
2. शिक्षार्थियों को अध्ययन सामाग्री (e-SLM) विश्वविद्यालय द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
3. शिक्षार्थियों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 200 ई-बुक्स खरीदी गई हैं जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
4. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पुस्तकालय मद में कोई भी अनुदान विश्वविद्यालय को नहीं दिया जाता है।
5. ''स्वामी विवेकानन्द उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना'' के अंतर्गत सुविधा का लाभ लेने हेतु विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹5.00 लाख की धनराशि अथवा आनुपातिक आधार पर

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या गुणा ₹500/- की दर, जो भी अधिक होगा, की दर से शुल्क देय होगा।

निर्णय:- ***प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों को अध्ययन सामाग्री (e-SLM), ई-बुक्स आदि की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। किन्तु ''स्वामी विवेकानन्द उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना'' के अन्तर्गत सुविधा का लाभ लेने हेतु शिक्षार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अतएव उत्तराखण्ड शासन से भविष्य में स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक ''स्वामी विवेकानन्द उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना'' को स्थगित रखा जाय।***

प्रस्ताव संख्या 36.09- विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पुरानी पाठ्य सामग्री की लगभग अस्सी हजार पुस्तकें नि:शुल्क वितरित किए जाने की सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, एम0पी0डी0डी0 द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय केन्द्रों एवं मुख्यालय में अवस्थित पाठ्य सामग्री निर्माण और वितरण विभाग (MPDD) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पुरानी पाठ्य सामग्री की लगभग अस्सी हजार पुस्तकें नि:शुल्क वितरित की जा चुकी हैं। तद्क्रम में MPDD विभाग से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर विचार किए जाने हेतु परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

1. पाठ्य सामग्री निर्माण और वितरण विभाग (MPDD) द्वारा विभिन्न अध्ययन केन्द्रों से सेमेस्टर प्रणाली की 50,000 अतिरिक्त पाठ्य सामग्री को मुख्यालय वापस लाए जाने के बाद शिक्षार्थियों को आवंटित की जा रही है, जिससे राजस्व की बचत होगी।
2. पाठ्य सामग्री की निर्धारित समय पर आवंटन हो, इस हेतु कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी) की अतिरिक्त आवश्यकता है।
3. पाठ्य सामग्री वितरण से सम्बद्ध कार्मिकों का सामग्री वितरण के समय पटल परिवर्तन ना किया जाय।

निर्णय:- ***विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पुरानी पाठ्य सामग्री की लगभग अस्सी हजार पुस्तकें नि:शुल्क वितरित किए जाने में विश्वविद्यालय के कुलपति जी की प्रेरणा हेतु विद्या परिषद द्वारा उनकी सराहना करते हुए शेष प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.10- दीक्षान्त समारोह से पूर्व उपाधि प्रदान किए जाने के संबंध में राज्यपाल/ कुलाधिपिति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र के संबंध में सूचना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के डिप्लोमा इन वैदिक कर्मकाण्ड कार्यक्रम में पंजीकृत कुछ शिक्षार्थियों का भारतीय थल सेना में आर.टी. जेसीओ की लिखित परीक्षा में चयन होने के फलस्वरूप संबंधित शिक्षार्थियों द्वारा डिप्लोमा की मूल प्रति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया। चूंकि विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार उत्तीर्ण हुए शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह में या उसके उपरान्त ही डिप्लोमा/उपाधि प्रदान की जाती है और शैक्षणिक सत्र 2025-26 का दीक्षान्त समारोह अभी सम्पन्न नहीं होने के कारण संबंधित शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र (Provisional Degree Certificate) प्रदान किया गया था। किन्तु अन्तिम रूप से चयन होने के लिए अभिलेखीय सत्यापन हेतु संबंधितों को डिप्लोमा पत्र की आवश्यकता होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा श्री बंसत जोशी को वैदिक कर्मकाण्ड डिप्लोमा प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 18.07.2026 को कुलाधिपति सचिवालय को पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर माननीय कुलाधिपति सचिवालय, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2026 को संचार माध्यम (whatsapp) से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि ***संबंधित शिक्षार्थी को सहायता प्रदान की जाए। अन्य आवश्यक औपचारिकताएं बाद में कर दी जाएंगी***। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त निर्देश के क्रम में श्री बंसत जोशी, श्री हिमांशु तिवारी, श्री दीपेश पंत एवं श्री अमित मुरारी को दीक्षान्त समारोह से पूर्व डिप्लोमा इन वैदिक कर्मकाण्ड का मूल प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.07.2026 को कुलाधिपति सचिवालय को प्रेषित पत्र के क्रम में भारतीय थल सेना में आर.टी. जेसीओ में चयनित श्री बंसत जोशी के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम का डिप्लोमा पत्र एवं डिग्री निर्गत किए जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किए जाने के संबंध में उप सचिव, माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2026 को विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को पत्र प्रेषित किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- ***शिक्षार्थियों के भविष्य के दृष्टिगत दीक्षान्त समारोह से पूर्व उपाधि प्रदान किए जाने के संबंध में राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा माननीय कुलाधिपति जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी शिक्षार्थियों, जिन्हें दीक्षान्त समारोह से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की गई है तथा तद्क्रम में दी जाएगी की, सूचना माननीय कुलाधिपति जी को प्रेषित की जाय।***

प्रस्ताव संख्या 36.11- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना F.No.1-34/2024(DEB-I), 11.11.2024 के अनुपालन में कृषि एवं बागवानी (Agriculture & Horticulture) विषयों का संचालन विश्वविद्यालय में बन्द किए जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना F.No.1-34/2024(DEB-I), 11.11.2024 के माध्यम से कृषि एवं

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

बागवानी विषयों को दूरस्थ माध्यम में संचालित किया जाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा कृषि एवं बागवानी में निम्नलिखित 03 कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:-

1. Certificate in Organic Farming (COF17)
2. Diploma in Commercial Horticulture (DCH17)
3. Diploma in Value Added Product from Fruits and Vegetables (DVAPFV17)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना F.No.1-34/2024(DEB-I), 11.11.2024 के अनुपालन में कृषि एवं बागवानी (Agriculture & Horticulture) में उक्त 03 कार्यक्रमों को संचालित किया जाना शिक्षार्थी हित में उचित नहीं है। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि शिक्षार्थी हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि एवं बागवानी (Agriculture & Horticulture) में संचालित उक्त 03 कार्यक्रमों का संचालन विश्वविद्यालय में बन्द कर दिया जाय। भविष्य में इन कार्यक्रमों को National Council for Vocational Education and Training (NCVET) के माध्यम से संचालित किए जाने की सम्भावनाएं विकसित की जाय। चूंकि संबंधित कार्यक्रमों की अध्ययन सामाग्री निर्मित है, अतएव आगामी शैक्षणिक सत्र से इन कार्यक्रमों को Skill Enhancement के अन्तर्गत संचालित किया जा सकता है। साथ ही प्रभारी प्रवेश को निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम है, की समीक्षा कर प्रवेश की अन्तिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त ऐसे कार्यक्रमों की सूची माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत की जाय। तद्क्रम में माननीय कुलपति/अध्यक्ष विद्या परिषद के निर्देशानुसार ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 10 से कम है, का संचालन नवीन शिक्षार्थियों हेतु स्थगित रखा जाय।***

प्रस्ताव संख्या 36.12- रसायन विज्ञान विभाग की पीएच0डी0 शोधार्थी हिमानी तिवारी पाण्डे नामांकन संख्या-21240593 एवं प्रीति वर्मा नामांकन संख्या- 23304029 की दिनांक 03.07.2026 तथा दिनांक 15.07.2026 को सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि **रसायन विज्ञान विभाग** की पीएच0डी0 शोधार्थी **हिमानी तिवारी पाण्डे** नामांकन संख्या-**21240593 एवं प्रीति वर्मा नामांकन संख्या-23304029** की पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा डॉ0 शालिनी सिंह, शोध निर्देशक एवं डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सह-शोध निर्देशक की उपस्थिति में क्रमशः **दिनांक 03.07.2026** तथा **दिनांक 15.07.2026** को सम्पन्न करा ली गई है। मौखिक परीक्षा

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

पीएच0डी0 शोधार्थी का नाम	नामांकन संख्या	शोध निर्देशक	पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा की तिथि	विभाग/ विषय	शोध शीर्षक
हिमानी तिवारी पाण्डे	21240593	डॉ0 शालिनी सिंह (शोध निर्देशक) डॉ0 वीरेन्द्र कुमार (सह-शोध निर्देशक	03 जुलाई, 2026	रसायन विज्ञान	**"Characterization of soil properties to evaluate soil health of Nainital and Almora district of Uttarakhand, India"**
प्रीति वर्मा	23304029	डॉ0 शालिनी सिंह (शोध निर्देशक) डॉ0 वीरेन्द्र कुमार (सह-शोध निर्देशक	15 जुलाई, 2026	रसायन विज्ञान	**"Chemical Profiling and Bioactivity of Chenopodium ambrosioide, Artemisia nilagirica and Hedychium spicatum and their Variation with Soils of different accessions of Uttarakhand"**

निर्णय:- *विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही गोपनीयता के दृष्टिग त संस्तुति की गई कि शोधार्थियों की थीसिस जमा होने के उपरान्त समस्त प्रक्रियाएं परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से सीधे कुलपति जी को प्रस्तुत कर पूर्ण की जाय। यदि इस संबंध में शोध अध्यादेश में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो उसे माननीय कुलपति जी के स्तर पर संशोधन करा लिया जाय।*

प्रस्ताव संख्या 36.13- गणित विभाग की पीएच0डी0 शोधार्थी राधा नामांकन संख्या-17121376 की दिनांक 25.07.2026 को सम्पन्न मौखिक परीक्षा की आख्या का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि **गणित विभाग** की पीएच0डी0 शोधार्थी **राधा** नामांकन संख्या-**17121376** शोध शीर्षक **"SOME PROBLEMS ON FIXED POINT THEOREMS IN METRIC SPACES AND GENERALIZED METRIC SPACES"** हेतु पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा प्रोफेसर अरविन्द भट्ट, शोध निर्देशक की उपस्थिति में **दिनांक 25.07.2026** को सम्पन्न करा

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

ली गई है। मौखिक परीक्षा की आख्या को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है। तद्क्रम में प्रस्ताव विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

पीएच0डी0 शोधार्थी का नाम	नामांकन संख्या	शोध निर्देशक	पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा की तिथि	विभाग/ विषय	शोध शीर्षक
राधा	17121376	प्रोफेसर अरविंद भट्ट	25 जुलाई 2026	गणित	**"SOME PROBLEMS ON FIXED POINT THEOREMS IN METRIC SPACES AND GENERALIZED METRIC SPACES"**

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.14- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में National Council for Vocational Education and Training (NCVET) से मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु निर्मित नियमावली का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, अकादमिक द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में National Council for Vocational Education and Training (NCVET) से मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु नियमावली निर्मित किए जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। गठित समिति द्वारा NCVET से मान्यता प्राप्त Assistant Home stay Manager तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले अन्य एनएसक्यूएफ संरेखित कौशल कार्यक्रमों के लिए यूओयू स्किल ट्रेनिंग सेंटरों के पैनलीकरण एवं संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में स्किल ट्रेनिंग सेंटरों की पात्रता, आवेदन एवं निरीक्षण प्रक्रिया, पैनलीकरण, प्रशिक्षण व्यवस्था, व्यावहारिक प्रशिक्षण, कार्यस्थल प्रशिक्षण, मूल्यांकन, वित्तीय प्रावधान, अभिलेख प्रबंधन, अनुश्रवण, नवीनीकरण, निलंबन तथा शिक्षार्थी हित संरक्षण से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तद्क्रम में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के स्किल ट्रेनिंग सेंटरों के पैनलीकरण एवं संचालन हेतु निर्मित नियमावली विद्या परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा निर्णय पारित किया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में National Council for Vocational Education and Training (NCVET) से मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संचालन के लिए नियमावली निर्मित किए जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति सभी नियमों, प्रक्रियाओं आदि का भली-भांति पुनः परीक्षण कर विस्तृत विवरण परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 36.15- सीका (Centre for Internal Quality Assurance) की चतुर्थ बैठक दिनांक 25.07.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, सीका द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित **सीका (Centre for Internal Quality Assurance)** की दिनांक **25 जुलाई, 2026** को **चतुर्थ** बैठक सम्पन्न हुई जिसकी संस्तुतियॉ विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई हैं।

निर्णय:- *सीका (Centre for Internal Quality Assurance) की चतुर्थ बैठक दिनांक 25.07.2026 की संस्तुतियों पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 36.16- विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत सम्पन्न अध्ययन बोर्डों (Board of Studies) की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/ विषयों की अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की बैठकें विभिन्न तिथियों में सम्पन्न हुई हैं, जिसमें अध्ययन बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गई है:-

क्रम सं0	विद्या शाखा का नाम	विषय/विभाग	कार्यक्रम का नाम/अध्ययन बोर्ड की संस्तुति	संलग्नक
1.	मानविकी विद्याशाखा	हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग	अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य में प्रमाण-पत्र	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 11.06.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित।
			जौनसारी भाषा एवं साहित्य में प्रमाण-पत्र	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 15.06.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित।
		संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग	भगवद्गीता अध्ययन में डिप्लोमा कार्यक्रम) Diploma Program in Bhagavad Gita Studies)	वार्षिक प्रणाली से सेमेस्टर प्रणाली में किए जाने हेतु अध्ययन बोर्ड की दिनांक 20.07.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

				कार्यवृत्त सहित।
2.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	1. Bachelor of Library & Information Science (BLIS-21) कार्यक्रम के क्रेडिट स्ट्रक्चर में संशोधन। 2. BLIS-21 कार्यक्रम की संशोधित कार्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम (Programme Structure & Syllabus) का अनुमोदन। 3. BLIS-21 कार्यक्रम हेतु संशोधित PPR का अनुमोदन। 4. विशेषज्ञों, इकाई लेखकों एवं समीक्षकों के पैनल का अनुमोदन।	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 21.06.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित।

अत: उक्तानुसार विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत सम्पन्न अध्ययन बोर्डों की संस्तुतियॉं, NEP के तहत निर्मित पाठ्यक्रम/पी0पी0आर/पाठ्यक्रम संशोधन आदि से संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गए हैं तथा संबंधित अध्ययन बोर्ड की पत्रावलियॉं भी विद्या परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार सम्पन्न अध्ययन बोर्डों की संस्तुतियों एवं अध्ययन बोर्ड द्वारा NEP के तहत निर्मित पाठ्यक्रम/पी0पी0आर/पाठ्यक्रम संशोधन आदि से संबंधित समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर समस्त अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.17- विश्वविद्यालय की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2025 में स्कूटनी प्रक्रिया के उपरान्त परीक्षार्थियों के अंकों में पाई गई भिन्नता के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2025 में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी प्रक्रिया के उपरान्त परीक्षार्थियों के अंकों में लगभग चार गुना तक की भिन्नता पाई गई है, जो कि परीक्षकों/मूल्यांकन कर्ता की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह स्थिति शिक्षार्थी एवं विश्वविद्यालय हित में उचित नहीं है। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए भविष्य में इस प्रकार के कार्यों की पुनरावृति न हो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने पर विचार हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए भविष्य में इस प्रकार के कार्यों की पुनरावृति न हो और विषय-विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा कार्य सावधानीपूर्वक सम्पादित किए जाय इस हेतु एक रूपरेखा तैयार किए जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति गठित किए जाने का निर्णय पारित किया गया। तद्क्रम में गठित समिति की आख्या आगामी कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाय:-*

1. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, अकादमिक।
2. प्रोफेसर एम0एम0 जोशी, निदेशक, पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन विद्याशाखा।
3. परीक्षा नियंत्रक।

प्रस्ताव संख्या 36.18- विश्वविद्यालय में पंजीकृत शिक्षार्थियों के हितार्थ दूरदर्शन उत्तराखण्ड पर 30 मिनट का दैनिक समय-स्लॉट प्राप्त करने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर राकेश रयाल द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के प्रचार-प्रसार विभाग द्वारा माननीय कुलपति जी को सम्बोधित पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय में पंजीकृत शिक्षार्थियों के हितार्थ दूरदर्शन उत्तराखण्ड पर 30 मिनट का साप्ताहिक समय-स्लॉट प्राप्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव विद्या परिषद में प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड (प्रसार भारती) के माध्यम से प्रतिदिन 30 मिनट (आधे घंटे) का एक समर्पित समय-स्लॉट प्राप्त करना प्रस्तावित है। इस स्लॉट के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी:-

1. **अकादमिक व्याख्यान**:- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के विशय-विशेषज्ञों द्वारा तैयार वीडियो व्याख्यानों का प्रसारण।
2. **सूचना प्रसारण**: - प्रवेश, परीक्षा, कार्यशालाओं, परिणामों एवं अन्य अकादमिक/प्रशासनिक अपडेट्स से संबंधित महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का समयबद्ध प्रसारण।
3. **अकादमिक प्रचार-प्रसार**:- विश्वविद्यालय की नवीन योजनाओं, पाठ्यक्रमों तथा जनउपयोगी गतिविधियों- की जानकारी का प्रसारण।

दूरदर्शन की राज्यव्यापी सुलभ पहुँच को देखते हुए, यह पहल शिक्षार्थियों के हित में अत्यंत उपयोगी एवं प्रभावकारी सिद्ध होगी। इसके अन्तर्गत अतः दूरदर्शन उत्तराखंड में 30 मिनट का समय-स्लॉट क्रय/आवंटित कराए जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने तथा प्रसार भारती के नियमों के अंतर्गत अग्रिम वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही (वार्ता एवं अनुबंध) हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा दूरदर्शन के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षर कर लिया जाय तथा एक समिति का गठन कर संबंधित प्रकरण पर एक विस्तृत रूपरेखा*

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

तैयार की जाय। समिति गठित किए जाने हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 36.19-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 36.19.01- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (Centre for Internal Quality Assurance) के वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) 2025-26 का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, सीका द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (Centre for Internal Quality Assurance) के **वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) 2025-26** विद्या परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (Centre for Internal Quality Assurance) के वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) 2025-26 पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.19.02- सहायक क्षेत्रीय निदेशकों के कार्य उत्तरदायित्वों हेतु मानक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के संबंध में रूपरेखा/ढांचा पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के कुल 08 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में 01 सहायक क्षेत्रीय निदेशक भी नियुक्त है। किन्तु उनके कार्य दायित्वों के संबंध में कोई मानक निर्मित ना होने के कारण क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रभावी संचालन, अध्ययन केन्द्रों के समुचित पर्यवेक्षण, शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं द्वारा सहायक क्षेत्रीय निदेशकों के कार्य उत्तरदायित्वों हेतु मानक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के संबंध में रूपरेखा/ढांचा निर्मित कर विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं:-

1. प्रशासनिक उत्तरदायित्व

1.1 क्षेत्रीय केन्द्र के दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन एवं समन्वय करना।
1.2 क्षेत्रीय निदेशक को प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय एवं विकासात्मक कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
1.3 विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
1.4 कार्यालय अभिलेखों, पत्रावलियों एवं गोपनीय अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण करना।
1.5 क्षेत्रीय केन्द्र की बैठकों का आयोजन, कार्यवृत्त तैयार करना तथा अनुपालन सुनिश्चित करना।
1.6 विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
1.7 क्षेत्रीय केन्द्र के कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं कार्य-समीक्षा करना।
1.8 कार्यालय अनुशासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

1.9 क्षेत्रीय केन्द्र की मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना।

मापनीय लक्ष्य (KPI):

- प्रत्येक माह की **05 तारीख** तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय मुख्यालय को उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक त्रैमास की **10 तारीख** तक त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना।
- अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करना।

2. अध्ययन केन्द्र प्रबंधन

2.1 क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त अध्ययन केन्द्रों का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना।

2.2 अध्ययन केन्द्रों की कार्यप्रणाली, अधोसंरचना एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन करना।

2.3 UGC-DEB विनियमों एवं विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

2.4 नवीन अध्ययन केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

2.5 अध्ययन केन्द्रों के नवीनीकरण, स्थानांतरण, निलंबन अथवा निरस्तीकरण संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

2.6 अध्ययन केन्द्रों में विश्वविद्यालय के आदेशों, सूचना पट्ट एवं आवश्यक प्रदर्शनों का सत्यापन करना।

2.7 अध्ययन केन्द्रों के गुणवत्ता उन्नयन हेतु सुझाव एवं सुधारात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करना।

2.8 अध्ययन केन्द्रों द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

मापनीय लक्ष्य (KPI):

- प्रत्येक अध्ययन केन्द्र का **वर्ष में न्यूनतम दो (02) निरीक्षण** अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- प्रत्येक निरीक्षण के **07 कार्य दिवस** के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा।
- निरीक्षण में पाई गई कमियों का **30 दिवस** के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

3. शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ

3.1 प्रवेश, पुनः पंजीकरण, परीक्षा, परियोजना, प्रायोगिक एवं उपाधि संबंधी मामलों में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना।

3.2 छात्र शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना।

3.3 शिक्षार्थी सहायता शिविर, परामर्श शिविर एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

3.4 दिव्यांग एवं विशेष श्रेणी के विद्यार्थियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

3.5 विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (Feedback) का विश्लेषण कर सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

मापनीय लक्ष्य (KPI):

- छात्र शिकायतों का निस्तारण **03 से 07 दिवस** के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रवेश सत्र में कम से कम **एक शिक्षार्थी सहायता शिविर** आयोजित किया जाएगा।

4. शैक्षणिक उत्तरदायित्व

4.1 शैक्षणिक परामर्श सत्रों का अनुश्रवण करना।

4.2 प्रायोगिक कक्षाओं, कार्यशालाओं एवं सम्पर्क कार्यक्रमों का समन्वय करना।

4.3 परामर्शदाताओं एवं समन्वयकों की नियुक्ति हेतु अभिलेखों का परीक्षण एवं संस्तुति करना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

4.4 परामर्शदाताओं एवं समन्वयकों के प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

5. परीक्षा संबंधी उत्तरदायित्व

5.1 परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना।

5.2 परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री के सुरक्षित प्रबंधन में सहयोग करना।

5.3 परीक्षा संबंधी प्रतिवेदन समयबद्ध रूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना।

6. वित्तीय एवं भुगतान संबंधी उत्तरदायित्व

6.1 ADMDESK/SIS प्रणाली के माध्यम से अध्ययन केन्द्रों के भुगतान की समस्त कार्यवाही का परीक्षण एवं अनुश्रवण करना।

6.2 भुगतान प्रक्रिया में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु ICT अनुभाग से समन्वय स्थापित करना।

6.3 दस्तावेजों की कमी होने पर अध्ययन केन्द्रों से अभिलेख प्राप्त कर भुगतान प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना।

6.4 अध्ययन केन्द्रों के अग्रिम (Advance), उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC), समायोजन (Adjustment) एवं वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण एवं अनुश्रवण कर विश्वविद्यालय को अपनी टिप्पणी के साथ उपलब्ध कराना

6.5 क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्रों के वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन एवं सुरक्षित संधारण करना।

मापनीय लक्ष्य (KPI):

- ADMDESK/SIS के माध्यम से प्राप्त Part-I एवं Part-II भुगतान प्रकरणों का निस्तारण **15 कार्य दिवस** के भीतर किया जाएगा।
- अध्ययन केन्द्रों के अग्रिम, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं समायोजन संबंधी प्रकरण **30 दिवस** के भीतर पूर्ण कराए जाएंगे।
- भुगतान से संबंधित लंबित प्रकरणों की मासिक समीक्षा की जाएगी।

7. अभिलेख एवं पत्राचार

7.1 अध्ययन केन्द्रों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित समस्त पत्र, प्रतिवेदन, प्रस्ताव, भुगतान संबंधी अभिलेख एवं अन्य आधिकारिक दस्तावेज सहायक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षर (Countersignature) उपरांत ही विश्वविद्यालय मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।

7.2 अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त समस्त सूचनाओं एवं प्रतिवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक टिप्पणी सहित अग्रसारित करना।

7.3 अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं सुरक्षित संधारण सुनिश्चित करना।

8. डिजिटल प्रशासन एवं ई-गवर्नेंस

8.1 ADMDESK, SIS एवं विश्वविद्यालय के अन्य ऑनलाइन पोर्टलों पर अध्ययन केन्द्रों से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन एवं अद्यतन सुनिश्चित करना।

8.2 अध्ययन केन्द्रों को ऑनलाइन प्रणालियों के संचालन हेतु तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन प्रदान करना।

8.3 विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं डिजिटल डाटाबेस में उपलब्ध सूचनाओं की शुद्धता सुनिश्चित करना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

9. प्रचार-प्रसार एवं समन्वय

9.1 प्रवेश अभियान, जन-जागरूकता कार्यक्रम एवं विश्वविद्यालय की प्रचार-प्रसार गतिविधियों का समन्वय करना।

9.2 शासकीय, अशासकीय एवं अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

9.3 विशेष शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों (Special Learner Support Centre's) के संचालन एवं अनुश्रवण में सहयोग प्रदान करना।

9.4 विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं विशेष आयोजनों के सफल संचालन में समन्वय करना।

10. अन्य उत्तरदायित्व

10.1 विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम एवं UGC-DEB Regulations का अनुपालन सुनिश्चित करना।

10.2 क्षेत्रीय निदेशक द्वारा सौंपे गए प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं विशेष दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन करना।

10.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

11. सामान्य प्रावधान

11.1 सहायक क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय निदेशक के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

11.2 सहायक क्षेत्रीय निदेशक के वार्षिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन उपर्युक्त मापनीय लक्ष्यों (KPIs) एवं कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक की अनुशंसा के आधार पर निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ/सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

11.3 सभी कार्य विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम, UGC-DEB Regulations तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप किए जाएंगे।

11.4 आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में संशोधन, परिवर्तन अथवा नवीन दायित्व जोड़ सकेंगे।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा सहायक क्षेत्रीय निदेशकों के कार्य उत्तरदायित्वों हेतु मानक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के संबंध में प्रस्तुत रूपरेखा/ढांचा पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.19.03- विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशकों से प्राप्त विषय-विशेषज्ञों के नाम में संशोधन एवं नाम जोड़ने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किए जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में समय-समय पर नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जाती है, जिसमें साक्षात्कार पैनल हेतु विशेषज्ञों के नाम निदेशकों से प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान में भी विश्वविद्यालय में आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। इस हेतु निदेशकों से विषय विशेषज्ञों के नाम साक्षात्कार पैनल, कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के साक्षात्कार हेतु गोपनीयता के साथ प्राप्त हुए हैं। चूंकि यह कार्य अत्यन्त गोपनीय प्रकृति का है एवं कुलपति स्तर का है,

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

जिसके लिए साक्षात्कार पैनल में विषय-विशेषज्ञों के नाम संशोधित करने/जोड़ने हेतु कुलपति को अधिकृत करने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नियमित पदों पर नियुक्ति/ कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) हेतु निदेशकों से प्राप्त विषय-विशेषज्ञों के नाम की सूची में संशोधन एवं नाम जोड़ने हेतु सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 36.19.04- **विश्वविद्यालय में नवीन डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित किए जाने के संबंध में विचार।**

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव निदेशक, अकादमिक के माध्यम से विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर परिषद द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि संबंधित प्रस्ताव के संबंध में नियमानुसार समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए उचित माध्यम से प्रस्ताव को विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।***

प्रस्ताव संख्या 36.19.05- विश्वविद्यालय में संचालित एम0एड0, विशेष शिक्षा (आईडी, एचआई एवं वीआई) कार्यक्रम हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदान की गयी मान्यता के निरस्तीकरण के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद अवगत कराया गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या RCI-21011/59/2022-NBER 2094 दिनांक 27 जुलाई, 2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय में संचालित एम0एड0, विशेष शिक्षा (आईडी, एचआई एवं वीआई कार्यक्रम हेतु प्रदान की गई सशर्त मान्यता को समझौता ज्ञापन (MoU) का प्रारूप एवं कार्यक्रम हेतु नियुक्त संकाय सदस्यों का विवरण संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारण निरस्त कर दिया गया है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या UOU/R1/RCI/Letter-02/346 दिनांक 30.07.2026 के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद को अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सूचना संबंधी अभिलेख दिनांक 16.05.2026 को पूर्व में ही प्रेषित किए जा चुके हैं। उक्त कार्यक्रम में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद से उक्त कार्यक्रमों की मान्यता को पुन: बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान सत्र में उक्त कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 17.08.2026 तक विस्तारित की गयी है । तद्क्रम में भारतीय पुनर्वास परिषद से उक्त कार्यक्रमों की मान्यता प्राप्त होने के प्रतिबंध के अधीन एम0एड0, विशेष शिक्षा (आईडी(एचआई एवं वीआई) कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही जारी रखे जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2026 पर कुलसचिव, निदेशक, शिक्षाशास्त्र एवं समन्वयक, एम0एड0 विशेष शिक्षा के स्तर से सभी आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूर्ण करते हुए एक सप्ताह के अन्दर संबंधित प्रकरण का निस्तारण किया जाय।***

प्रस्ताव संख्या 36.19.06- क्रय अनुभाग में लंबित क्रय पत्रावलियों के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर अध्यक्ष, केन्द्रीय क्रय समिति (CPC) द्वारा विद्या परिषद के समक्ष क्रय अनुभाग में लंबित क्रय पत्रावलियों की सूची प्रस्तुत की गई जिसमें कुल 12 पत्रावलियों के नाम अंकित किए गए हैं। संबंधित सभी पत्रावलियां विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु क्रय की जानी वाली सामाग्रियों से संबंधित होने के कारण विश्वविद्यालय के कार्य बाधित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की केन्द्रीय क्रय समिति में वित्त नियंत्रक सदस्य हैं। क्रय समिति की बैठकों में वित्त नियंत्रक उपस्थित नहीं हो रहे है जिस कारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमों के अनुसार क्रय प्रक्रियाएं सुचारू रूप से सम्पादित नहीं हो पा रही हैं।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि वित्तीय मामलों में यदि वित्त नियंत्रक का सहयोग नहीं मिल रहा है तो विश्वविद्यालय हित में इसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा सकती है।***

बैठक के अन्त में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विद्या परिषद के बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, प्रोफेसर बी0एस0 बिष्ट, प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह, प्रोफेसर एच0सी0 पुरोहित एवं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय का 02 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 08 अगस्त, 2026 को समाप्त हो रहा है। इन 02 वर्षों के कार्यकाल में सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग रहा है जिसके लिए विश्वविद्यालय सभी सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। साथ ही भविष्य में भी सभी का सहयोग व दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय को प्राप्त होता रहे इसी आशा के साथ पुन: ध्वनि मत से परिषद के बाह्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त विद्या परिषद के सदस्य सचिव/कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, विद्या परिषद

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)